प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या– 754/स्था0–प्रथम/कोविड–19/2021 दिनांक 05 मई, 2021

विषय– कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व विभाग अनुभाग–11 के निर्गत शासनादेश संख्या–249/एक–11–2020–04(जी0)/2015–टी0सी0, दिनांक 11.04.2020 यथा संशोधित संख्या–249(2)/एक–11–2020–04(जी)/2015–टी0सी0, दिनांक 11.04.2020 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश में अवगत कराया गया है कि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड–19 से प्रभावित सम्पूर्ण प्रदेश में इस महामारी की रोकथाम, उपचार एवं उससे बचाव के लिये चिकित्सा विभाग के अलावा भारी संख्या में विभिन्न विभागों के कार्मिक दिन–रात ड्यूटी में लगे हुए है। वर्तमान में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जनपदों, मण्डलों एवं प्रदेश मुख्यालय स्तर पर कोविड–19 के रोकथाम, उपचार एवं उससे बचाव के लिए महत्वपूर्ण दायित्व सौपे गये है। ऐसे कार्मिकों में कोविड–19 के संक्रमण की सम्भावना बनी रहती है।

2. उपर्युक्त शासनादेश में कोविड–19 के रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की कोविड–19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उस मृतक के आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अनुग्रह धनराशि हेतु निम्न कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैः–

- अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।
- सम्बन्धित कार्मिक का कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के कार्यो में नियुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि सम्बन्धित कार्मिक की मृत्यु कोविड–19 के संक्रमण से हुई है।

4. उक्त प्राविधानित व्यवस्था का लाभ ग्राम्य विकास विभाग में कार्यरत उन सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, संविदाकर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स, स्थायी/अस्थायी तथा स्वायत्त शासी संस्था के कार्मिकों के आश्रितों को अनुमन्य/देय होगी, जो कोविड–19 की रोकथाम, उसके उपचार व उसके बचाव के लिए कार्यरत है।

5. ड्यूटी के दौरान संक्रमित एवं संक्रमण के कारण कोविड प्रोटोकाल में मृत्यु होने की दशा में भी कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लियें कार्यरत कार्मिकों को इस शासनादेश से आच्छादित मानते हुए अनुग्रह धनराशि रू0 50.00 लाख दिये जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा जायेगा।

6. कोविड–19 के प्रारम्भ (वर्ष 2020) से Covid **मरीजो के लिए** Quarantine Centre की स्थापना एवं रख रखाव, प्रवासी श्रमिकों के अनिवार्य Covid Quarantine Centre पर रहने, भोजन आदि की व्यवस्था

.....2

व प्रवासी श्रमिको के पंजीकरण एवं रोजगार उपलब्ध कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था, उसके पर्यवेक्षण आदि कार्य के दौरान किसी विभागीय कार्मिक की मृत्यु हो गयी हो अथवा मृत्यु हो जाती है, तो उपर्युक्त शासनादेश के क्रम में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कोविड–19 के रोकथाम उपचार व उससे बचाव के लियें तैनात किये गये उक्त कार्मिकों के कोविड–19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. राज्य मुख्यालय, मण्डल एवं जनपदों में कोविड हेल्प डेस्क एवं कोविड–19 के रोकथाम, उपचार व बचाव के लियें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तैनात सभी विभागीय कार्मिकों के कोविड संक्रमण से मृत्यु की दशा में उपर्युक्त शासनादेश में प्राविधानित लाभ उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उपायुक्त श्रम/स्वतः रोजगार एवं मण्डल मुख्यालय पर स्थित संयुक्त विकास आयुक्त से सम्बन्धित कार्मिक के कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के कार्यो में नियुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राप्त तथा जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए सम्बन्धित कार्मिक का कोविड–19 के संक्रमण से मृत्यु होने का प्रमाण–पत्र ससमय प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में त्वरित गति से कार्यवाही अपेक्षित है, जिससे मृतक कार्मिक के आश्रितों को स्वीकृत अनुग्रह धनराशि समय से उपलब्ध हो सके।

अस्तु अनुरोध है कि कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत ग्राम्य विकास विभाग के कार्मिकों का कोविड–19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर शासनादेश में प्राविधानित कार्यवाही पूर्ण कराते हुए सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों को संलग्न कर समस्त विवरण जिलाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(के0 रविन्द्र नायक)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पृष्ठांकन संख्या– 754/स्था0–प्रथम/कोविड–19/2021तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ कि शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,उ0प्र0।
6. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), ग्राम्य विकास, मुख्यालय,उ0प्र0।
7. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
8. समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
10. समस्त उपायुक्त श्रम/स्वतः रोजगार, उ0प्र0।

आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या– 754/स्था0–प्रथम/कोविड–19/2021 दिनांक 05 मई, 2021

विषय– कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व विभाग अनुभाग–11 के निर्गत शासनादेश संख्या–249/एक–11–2020–04(जी0)/2015–टी0सी0, दिनांक 11.04.2020 यथा संशोधित संख्या–249(2)/एक–11–2020–04(जी)/2015–टी0सी0, दिनांक 11.04.2020 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश में अवगत कराया गया है कि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड–19 से प्रभावित सम्पूर्ण प्रदेश में इस महामारी की रोकथाम, उपचार एवं उससे बचाव के लिये चिकित्सा विभाग के अलावा भारी संख्या में विभिन्न विभागों के कार्मिक दिन–रात ड्यूटी में लगे हुए है। वर्तमान में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जनपदों, मण्डलों एवं प्रदेश मुख्यालय स्तर पर कोविड–19 के रोकथाम, उपचार एवं उससे बचाव के लिए महत्वपूर्ण दायित्व सौपे गये है। ऐसे कार्मिकों में कोविड–19 के संक्रमण की सम्भावना बनी रहती है।

2. उपर्युक्त शासनादेश में कोविड–19 के रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की कोविड–19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उस मृतक के आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अनुग्रह धनराशि हेतु निम्न कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैः–

- ❖ अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।
- ❖ सम्बन्धित कार्मिक का कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के कार्यो में नियुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- ❖ मुख्य चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि सम्बन्धित कार्मिक की मृत्यु कोविड–19 के संक्रमण से हुई है।

4. उक्त प्राविधानित व्यवस्था का लाभ ग्राम्य विकास विभाग में कार्यरत उन सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, संविदाकर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स, स्थायी/अस्थायी तथा स्वायत्त शासी संस्था के कार्मिकों के आश्रितों को अनुमन्य/देय होगी, जो कोविड–19 की रोकथाम, उसके उपचार व उसके बचाव के लिए कार्यरत है।

5. ड्यूटी के दौरान संक्रमित एवं संक्रमण के कारण कोविड प्रोटोकाल में मृत्यु होने की दशा में भी कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लियें कार्यरत कार्मिकों को इस शासनादेश से आच्छादित मानते हुए अनुग्रह धनराशि रू0 50.00 लाख दिये जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा जायेगा।

6. कोविड–19 के प्रारम्भ (वर्ष 2020) से Covid **मरीजो के लिए** Quarantine Centre की स्थापना एवं रख रखाव, प्रवासी श्रमिकों के अनिवार्य Covid Quarantine Centre पर रहने, भोजन आदि की व्यवस्था

.....2

व प्रवासी श्रमिको के पंजीकरण एवं रोजगार उपलब्ध कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था, उसके पर्यवेक्षण आदि कार्य के दौरान किसी विभागीय कार्मिक की मृत्यु हो गयी हो अथवा मृत्यु हो जाती है, तो उपर्युक्त शासनादेश के क्रम में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कोविड–19 के रोकथाम उपचार व उससे बचाव के लियें तैनात किये गये उक्त कार्मिकों के कोविड–19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. राज्य मुख्यालय, मण्डल एवं जनपदों में कोविड हेल्प डेस्क एवं कोविड–19 के रोकथाम, उपचार व बचाव के लियें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तैनात सभी विभागीय कार्मिकों के कोविड संक्रमण से मृत्यु की दशा में उपर्युक्त शासनादेश में प्राविधानित लाभ उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उपायुक्त श्रम/स्वतः रोजगार एवं मण्डल मुख्यालय पर स्थित संयुक्त विकास आयुक्त से सम्बन्धित कार्मिक के कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के कार्यो में नियुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राप्त तथा जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए सम्बन्धित कार्मिक का कोविड–19 के संक्रमण से मृत्यु होने का प्रमाण–पत्र ससमय प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में त्वरित गति से कार्यवाही अपेक्षित है, जिससे मृतक कार्मिक के आश्रितों को स्वीकृत अनुग्रह धनराशि समय से उपलब्ध हो सके।

अस्तु अनुरोध है कि कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत ग्राम्य विकास विभाग के कार्मिकों का कोविड–19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर शासनादेश में प्राविधानित कार्यवाही पूर्ण कराते हुए सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों को संलग्न कर समस्त विवरण जिलाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(के0 रविन्द्र नायक)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पृष्ठांकन संख्या– 754/स्था0–प्रथम/कोविड–19/2021तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ कि शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,उ0प्र0।
6. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), ग्राम्य विकास, मुख्यालय,उ0प्र0।
7. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
8. समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
10. समस्त उपायुक्त श्रम/स्वतः रोजगार, उ0प्र0।

आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

महत्वपूर्ण / संशोधन

संख्या–249 (2) / एक–11–2020–04(जी) / 2015–टी0सी0

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं
बेसिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2–पुलिस आयुक्त,
लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर।
3–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2020

राजस्व अनुभाग–11

विषय–कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–249 / एक–11–2020–04 (जी) / 2015–टी0सी0, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या–249 / एक–11–2020–04(जी) / 2015–टी0सी0, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 के प्रस्तर-3 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:–

उपर्युक्त स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। इस हेतु कार्यालयाध्यक्ष का इस आशय का प्रमाण पत्र कि सम्बन्धित कार्मिक कोविड–19 की रोकथाम, उसके उपचार व उससे बचाव के कार्यों के लिए नियुक्त था तथा साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र कि सम्बन्धित कार्मिक की मृत्यु कोविड–19 के संक्रमण से हुई है, अपेक्षित होगा।

3– उक्त शासनादेश दिनांक 11 अप्रैल, 2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीया,

11/4/2020

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 249(3) / / एक–11–2020–04(जी) / 2015–टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)

महत्वपूर्ण/संशोधन

संख्या–249 (2)/एक–11–2020–04(जी)/2015–टी0सी0

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं
बेसिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2–पुलिस आयुक्त,
लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर।
3–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ : दिनांक अप्रैल, 2020

विषय–कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–249/एक–11–2020–04 (जी)/2015–टी0सी0, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या–249/एक–11–2020–04(जी)/2015–टी0सी0, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 के प्रस्तर-3 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:–

उपर्युक्त स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। इस हेतु कार्यालयाध्यक्ष का इस आशय का प्रमाण पत्र कि सम्बन्धित कार्मिक कोविड–19 की रोकथाम, उसके उपचार व उससे बचाव के कार्यों के लिए नियुक्त था तथा साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र कि सम्बन्धित कार्मिक की मृत्यु कोविड–19 के संक्रमण से हुई है, अपेक्षित होगा।

3– उक्त शासनादेश दिनांक 11 अप्रैल, 2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीया,
10/4/2020
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 249(3)/एक–11–2020–04(जी)/2015–टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

10.4.2020

आज्ञा से,
(संजय गोयल)
सचिव

Scanned with CamSc

महत्वपूर्ण

संख्या– 249 / एक–11–2020–04(जी) / 2015–टी0सी0

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस आयुक्त,
   लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
   उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ : दिनांक ।। अप्रैल, 2020

विषयः कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड–19 से प्रभावित सम्पूर्ण प्रदेश में इस महामारी की रोकथाम, उपचार एवं उससे बचाव के लिये चिकित्सा विभाग के अलावा भारी संख्या में विभिन्न विभागों के कार्मिक दिन–रात ड्यूटी में लगे हुए हैं।

2. कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों में कोविड–19 के संक्रमण की आशंका सदैव बनी रहती है। कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिक की कोविड–19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में उसके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा उस मृतक के आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि स्वीकृति किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उपर्युक्त स्वीकृति हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। इस हेतु कार्यालयाध्यक्ष का इस आशय का प्रमाण–पत्र कि संबंधित कार्मिक कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के कार्यों के लिये नियुक्त था तथा साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र कि संबंधित कार्मिक की मृत्यु कोविड–19 के संक्रमण से हुई है, अपेक्षित होगा।

4. उक्त व्यवस्था का लाभ चिकित्सा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या –533 / पांच–1–2020–आर0(533) / 2020 दिनांक 07.04.2020 से आच्छादित कार्मिकों से भिन्न समस्त विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों आदि अन्य सभी सरकारी, अर्द्ध–सरकारी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स,

Scanned with CamSc

स्थायी/अस्थायी कार्मिकों के आश्रितों को अनुमन्य/देय होगी, जो कोविड–19 की रोकथाम, उसके उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत हैं।

5. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06– स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42 अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–646/दस–5–2020... दिनांक 11 अप्रैल 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीया,

11/4/2020

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–249(1)/एक–11–2020–04(जी)/2015–टी0सी0 तददिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।

Scanned with CamSc